



2026:AHC: 71158

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1733/1992

राजेंद्र सिंह और अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: श्याम जीवन त्रिपाठी, सुरेंद्र सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

1. यह आपराधिक अपील विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) जालौन स्थान उरई द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 137 वर्ष 1990 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 28.08.1992 के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 और 324/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और क्रमशः छह महीने और एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राहुल अस्थाना को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. अपील के लंबित रहने के दौरान, यह अभिलेख पर लाया गया है कि अपीलकर्ता संख्या 1 राजेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 27.11.2019 पर विचार करते हुए, आदेश दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से अपीलकर्ता संख्या 1 के संबंध में अपील उपशमित हो गई थी। वर्तमान अपील अब केवल अपीलकर्ता संख्या 2, 3 और 4 अर्थात् लालजी सिंह, कुशल पाल सिंह और करन सिंह के संबंध में शेष है।

4. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि घटना से लगभग एक महीने पहले, शिकायतकर्ता और अभियुक्तों के बीच कबड्डी के खेल को लेकर विवाद हुआ था, जिससे दुश्मनी पैदा हो गई। 07.03.1990 को दोपहर लगभग 2.20 बजे, सूचक वीर पाल सिंह अपने खलिहान से होते हुए घर लौट रहा था, कथित तौर पर अभियुक्त सड़क पर इंतजार कर रहे थे। यह आरोप है कि अभियुक्त राजेंद्र सिंह आग्नेयास्त्र से लैस था और अन्य अभियुक्त अर्थात् करन सिंह, लालजी सिंह और कुशल पाल सिंह लाठी-डंडों से लैस थे। उन्होंने शिकायतकर्ता को गालियां दीं और उस पर हमला किया। उसके शोर मचाने पर, उसका भाई चंद्र पाल सिंह आ गया जिसे भी घटना के दौरान अभियुक्तों द्वारा पीटा गया। अभियुक्त राजेंद्र सिंह ने गोली चलाई जिससे चंद्र पाल सिंह की बाईं कोहनी पर चोट आई। शोर मचाए जाने पर, गवाह लाखन सिंह, राम अनुग्रह सिंह, राजा भैया और अन्य मौके पर आ गए और अभियुक्त भाग गए।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। मामले की विवेचना के पश्चात, भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और उन्हें पढ़कर सुनाए गए। उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया।

7. दोनों घायलों, वीर पाल सिंह और उसके भाई चंद्र पाल सिंह को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल उरई भेजा गया, जहां उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गई :-

वीर पाल सिंह की चोटें :-

- i. दाहिने कान के ऊपर सिर के दाहिनी ओर 3 सेमी x 2 सेमी का लाल नील तथा दर्दनाक सूजन।
- ii. कंधे के ब्लेड से लेकर निचले स्कैपुला क्षेत्र तक पूरी पीठ पर कई नरम पपड़ीदार खरोंचें और लाल नील, जिनका आकार 3 सेमी x 1 सेमी से 15 सेमी x 2.5 सेमी तक था।
- iii. दाहिनी कोहनी के पिछले हिस्से और उससे सटे अग्रबाहु के ऊपरी एक-तिहाई हिस्से पर 3 सेमी x 1.5 सेमी से 6 सेमी x 2 सेमी के तीन खरोंच और छिले हुए नील तथा दर्दनाक सूजन।
- iv. दाहिनी तर्जनी उंगली के मध्य जोड़ पर 0.5 सेमी x 0.5 सेमी और 1 सेमी x 0.5 सेमी की नरम पपड़ीदार खरोंच।
- v. बाएं अग्रबाहु के निचले एक-तिहाई हिस्से के पिछले भाग और हाथ की ऊपरी उंगलियों पर 0.5 सेमी x 0.5 सेमी से 3 सेमी x 1.5 सेमी तक कई खरोंचें और लाल नील, साथ में सूजन।
- vi. दाहिने घुटने की चक्की पर 3 सेमी x 2 सेमी का लाल नील।
- vii. बाएं घुटने की चक्की पर 0.5 सेमी x 0.5 सेमी से 2 सेमी x 1 सेमी तक कई खरोंचें, नरम पपड़ीदार।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चंद्र पाल सिंह की चोटें :-

- i. बालों की रेखा के ठीक पीछे सिर के दाहिनी ओर 2.5 सेमी x 0.5 सेमी का त्वचा की गहराई तक एक विदीर्ण घाव, जिसमें नरम जमा हुआ खून पाया गया।
 - ii. बाईं कॉलर बोन के बाहरी सिरे पर 3 सेमी x 2 सेमी की खरोंच, नरम पपड़ीदार।
 - iii. बाएं कंधे पर 6 सेमी x 2 सेमी का लाल नील।
 - iv. दाहिने कंधे पर 7 सेमी x 2 सेमी का लाल नील।
 - v. दाहिने अग्रबाहु के निचले एक-तिहाई हिस्से पर 9 सेमी x 1 सेमी की खरोंच, नरम पपड़ीदार।
 - vi. बाईं कोहनी के पिछले हिस्से पर 0.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार विदीर्ण घाव, जो मांसपेशियों की गहराई तक था और साथ में फैली हुई सूजन।
 - vii. बाएं अग्रबाहु के ऊपरी एक-तिहाई हिस्से पर 6 सेमी x 3 सेमी का लाल नील और साथ में फैली हुई दर्दनाक सूजन।
 - viii. बाईं पिंडली पर 6 सेमी x 1.25 सेमी की खरोंच, नरम पपड़ीदार।
 - ix. दाहिने घुटने की चक्की पर 3 सेमी x 2 सेमी का लाल नील। x. दाहिनी पिंडली पर 0.5 सेमी x 1.5 सेमी x 0.5 सेमी की कई नरम पपड़ीदार खरोंचें।
8. कुछ चोटों को निगरानी में रखा गया और एक्स-रे के लिए संदर्भित किया गया। एक्स-रे तकनीशियन डॉ. वी.सी. चंदेल अभियोजन गवाह-3 की देखरेख में एक्स-रे किए गए। एक्स-रे रिपोर्ट में हड्डी की कोई चोट नहीं पाई गई।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. अभियोजन पक्ष ने कुल पांच गवाहों का परीक्षण किया है। अभियोजन गवाह-1 वीर पाल सिंह, अभियोजन गवाह-2 चंद्र पाल सिंह, अभियोजन गवाह-3 डॉ. वी.सी. चंदेल, अभियोजन गवाह-4 डॉ. एस.के. उपाध्याय, अभियोजन गवाह-5 उप-निरीक्षक एस.एन. सिंह, और कांस्टेबल राम प्रकाश सिंह को भी न्यायालय द्वारा तलब किया गया था और उन्होंने न्यायालय के गवाह के रूप में गवाही दिया।

10. दस्तावेजी साक्ष्य, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-2, सामान्य डायरी की कार्बन प्रति प्रदर्श क-3, वीर पाल और चंद्र पाल की चोट रिपोर्टें क्रमशः प्रदर्श क-4 और प्रदर्श क-5, नक्श-नजरी प्रदर्श क-6 और आरोप-पत्र प्रदर्श क-7, एक्स-रे प्लेटें भौतिक प्रदर्श 1 से 4 अभिलेख पर उपलब्ध हैं।

11. विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तत्वों, विशेष रूप से मृत्यु कारित करने के आशय और प्रयास को स्थापित करने में विफल रहा। हालांकि, इसने धारित किया कि अभियुक्तों द्वारा कारित चोटें साबित हो गई हैं और तदनुसार, अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 324 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया।

12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष पर विवाद नहीं करते हैं और अपने तर्कों को केवल दंडादेश के प्रश्न तक सीमित रखते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना वर्ष 1990 से संबंधित है, तीन दशक से अधिक का समय बीत चुका है। अभियुक्तों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं हुई है। अपीलकर्ता अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ पाने के हकदार हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने निर्णय और दोषसिद्धि का समर्थन किया।

14. विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे यह हैं कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 324 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि पोषणीय है और क्या अपीलकर्ता अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के लाभ के हकदार हैं।

15. घायल गवाहों, अभियोजन गवाह-1 और अभियोजन गवाह-2 की गवाही विश्वसनीय है और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा विधिवत संपुष्ट है। धारा 323 और 324 के अंतर्गत दोषसिद्धि भली-भांति स्थापित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जहां तक दंडादेश के प्रश्न का संबंध है, घटना वर्ष 1990 में हुई थी और तीन दशक से अधिक का समय बीत चुका है। अपीलकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। किसी भी पूर्व दोषसिद्धि को दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है।

16. दंड प्रक्रिया संहिता में भी एक समान प्रावधान मिलता है, वहां धारा 360 का प्रावधान है:-

धारा 360- सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ने का आदेश:-

जब इक्कीस वर्ष से कम आयु का न होने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है जो केवल जुर्माने से या सात वर्ष या उससे कम की अवधि के कारावास से दंडनीय है, या जब इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति या कोई महिला ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराई जाती है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं हुई है, यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष वह सिद्धदोष ठहराया गया है, अपराधी की आयु, चरित्र या पूर्ववृत्त, और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें अपराध किया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गया था, यह प्रतीत होता है कि यह समीचीन है कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाना चाहिए, तो न्यायालय उसे तुरंत किसी दंड से दंडादिष्ट करने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि उसे प्रतिभुओं सहित या उसके बिना एक बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाए, ताकि वह ऐसी अवधि (जो तीन वर्ष से अधिक न हो) के दौरान, जैसा कि न्यायालय निर्देशित करे, बुलाए जाने पर उपस्थित होकर दंडादेश प्राप्त कर सके और इस बीच शांति बनाए रखे और सदाचारी बना रहे;

परंतु जहां कोई प्रथम अपराधी द्वितीय श्रेणी के ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सशक्त नहीं किया गया है, और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वह इस आशय की अपनी राय अभिलिखित करेगा, और कार्यवाहियों को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा, तथा अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा या उसके समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए जमानत ले लेगा, जो उप-धारा (2) द्वारा उपबंधित रीति से मामले का निस्तारण करेगा।

17. जहां तक अपीलकर्ता को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ देने के प्रश्न का संबंध है, विधिक स्थिति और प्रतिपादित विधि पर चर्चा करना आवश्यक है। इस संबंध में, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"4. सदाचरण की परिवीक्षा पर कतिपय अपराधियों को छोड़ने की न्यायालय की शक्ति.—

(1) जब कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय न होने वाले किसी अपराध को करने का दोषी पाया जाता है और जिस न्यायालय द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसकी यह राय है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसे सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ना समीचीन है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे तुरंत किसी दंड से दंडादिष्ट करने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि उसे प्रतिभूओं सहित या उसके बिना एक बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाए, ताकि वह ऐसी अवधि के दौरान, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि न्यायालय निर्देशित करे, बुलाए जाने पर उपस्थित होकर दंडादेश प्राप्त कर सके, और इस बीच शांति बनाए रखे और सदाचारी बना रहे:

परंतु न्यायालय किसी अपराधी को इस प्रकार छोड़े जाने का निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक कि उसका समाधान न हो जाए कि अपराधी या उसके प्रतिभू, यदि कोई हो, का उस स्थान पर निश्चित निवास स्थान या नियमित व्यवसाय है जिस पर न्यायालय अपनी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है या जिसमें उस अवधि के दौरान अपराधी के रहने की संभावना है जिसके लिए वह बंधपत्र निष्पादित करता है।"

18. अपराधी परीक्षा अधिनियम एक सुधारात्मक कानून है जिसका उद्देश्य पहली बार अपराध करने वालों को स्वयं में सुधार करने का अवसर देना है। अपराध की प्रकृति, वाद की परिस्थितियों और समय के लंबे अंतराल पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ता सदाचरण की परीक्षा पर रिहा किए जाने के हकदार हैं।

19. अपीलकर्ता संख्या 2 लालजी सिंह, अपीलकर्ता संख्या 3 कुशल पाल सिंह और अपीलकर्ता संख्या 4 करन सिंह को संबंधित जिला परीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रत्येक को 10000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की एक प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण की परीक्षा पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, साथ ही इस आशय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



का एक वचनपत्र भी लिया जाए कि वे आज से एक वर्ष की अवधि के दौरान शांति और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे।

20. उक्त बंधपत्र अपीलकर्ताओं द्वारा इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने हैं।

21. किन्हीं भी शर्तों के उल्लंघन के स्थिति में, अपीलकर्ताओं को अभिरक्षा में लिया जाएगा और उन्हें दी गई सजा भुगतनी होगी।

22. उपरोक्त संशोधन के साथ, वर्तमान आपराधिक अपील आंशिक रूप से **स्वीकार** की जाती है।

23. अनुपालन के लिए आदेश की एक प्रमाणित प्रति भी संबंधित न्यायालय को भेजी जाए। विचारण न्यायालय का अभिलेख भी संबंधित जिला न्यायालय को वापस भेजा जाए।

31 मार्च, 2026

पी. पांडेय

(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”